**आरक्षण नियम :**

1 सत्र 2011–12 में बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश में विभिन्न श्रेणियों (Categories) हेतु आरक्षण निम्न प्रकार होगाः

| श्रेणी (Category) | आरक्षण | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| अनुसूचित जाति | 16 प्रतिशत | |
| अनुसूचित जनजाति | 12 प्रतिशत | इस 12 प्रतिशत का 45 प्रतिशत अधिसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण होगा |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 21 प्रतिशत | |
| विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) | 01 प्रतिशत | |
| विकलांग | 03 प्रतिशत | (इस 03 प्रतिशत का 1 प्रतिशत गूंगे–बहरों हेतु, 1 प्रतिशत दृष्टिबाधित तथा 1 प्रतिशत अस्थि विकलांगों हेतु आरक्षण रहेगा) |
| रक्षाकर्मी एवं आश्रित | 05 प्रतिशत | |
| महिलाएँ | 20 प्रतिशत | (20 प्रतिशत में 8 प्रतिशत विधवा, 2 प्रतिशत परित्यक्ता महिलाओं हेतु आरक्षण रहेगा) |

2 अधिसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जनजाति के युवाओं को सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठयक्रम यथा बीएड प्रवेश पूर्व परीक्षा में प्रावधित अनुसूचित जनजाति के 12 प्रतिशत आरक्षण का 45 प्रतिशत आरक्षण सम्पूर्ण राज्य में स्थित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में एनसीटीई द्वारा स्वीकृत सीटों पर लागू रहेगा। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति के 12 प्रतिशत आरक्षण के अध्यधीन ही देय होगा।

3 प्रवेश क्षमता की अधिकतम 5 प्रतिशत सीटों पर राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को मैरिट आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा।